तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टीए/6542/2024/जयपुर** **सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा.लि. बनाम सुरेन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक प्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः– 09.04.2025

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश पत्रांक विविध/2024/759 दिनांक 27–08–2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–2024 न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी के मूल खातेदार अप्रार्थी सं0 2 व विजय कुमार ने विवादित भूमि जरिये मौखिक इकरार प्रार्थी को विक्रय कर 65 लाख रू0 जरिये चेक सं0 483515 दिनांक 06–03–2007 से प्राप्त कर लिये थे किन्तु उक्त दिनांक को इकरारनामा निष्पादित नहीं होने से मूल रजिस्ट्री के दस्तावेज प्रार्थी को प्रदान कर आगामी दिवस पर इकरारनामा निष्पादित करने का आश्वासन दिया। अप्रार्थी सं0 2 के मन में बेईमानी आने के कारण इकरारनामा निष्पादित नहीं हो रहा है प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 2005 से लगातार काबिज है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना सीधे ही प्रार्थना पत्र पर आक्षेपित आदेश पारित कर दिये। प्रार्थी को जानकारी मिली की अप्रार्थी सं0 2 किसी अजनबी व्यक्ति को विवादित भूमि विक्रय करने की फिराक में है तब प्रार्थी ने तहसीलदार, आमेर के समक्ष मौके की स्थिति को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु मौका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टीए/6542/2024/जयपुर** **सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा.लि. बनाम सुरेन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निरीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट दिनांक 24–06–2022 तैयार की गई। जिसके अनुसार विवादित आराजी पर चारों ओर तारबंदी तथा प्रार्थी सनसिटी प्रोजेक्ट के बोर्ड लगे होना, सुरक्षा गार्ड उपस्थित होना व मौके पर उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा पुष्टि की है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा.लि. का काफी लंबे समय से कब्जा है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी किये बिना अप्रार्थी सं0 1 से सांठ–गांठ कर बिना किसी आधार के दिनांक 27–08–2024 को अप्रार्थी सं0 1 को पुलिस की सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित कर दिये। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अप्रार्थी सं0 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पारित कर अपने पद में निहित अधिकारों का दुरूपयोग किया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–2024 को निरस्त किया जावे।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2013 आर0बी0जे0 पेज 395, 2009 आर0बी0जे0 पेज 320, 2014 आर0बी0जे0 पेज 204, 2014 आर0आर0टी0 पेज 409 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

4– पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन व परिशीलन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, निवासी जयपुर द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28–08–2024 को प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी की जमीन ग्राम कुकस, पटवार हल्का कुकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर में उपरोक्त खसरा नंबरान कुल खसरे 05 रकबा 2.78 है0 प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे की उक्त खातेदारी आराजी पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास करते रहने के कारण और आराजी में आवारा जानवर आते जाते रहते है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नंबरान की सुरक्षा हेतु तारबंदी करने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण गुण्डागर्दी के बल पर प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की खातेदारी भूमि पर तारबंदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टीए/6542/2024/जयपुर** **सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा.लि. बनाम सुरेन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं करने देते है। अतः प्रार्थी को पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक विविध/2024/759 दिनांक 27–08–2024 से थानाधिकारी पुलिस थाना आमेर को लिखते हुए निर्देश दिये है कि दिनांक 28–08–2024 को प्रार्थी को पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा जन्माष्टमी के अवकाश के दिन भी इस कार्य को करवाये जाने के लिए दिनांक 27–08–2024 को बिना प्रार्थना पत्र प्राप्त किये ही पत्र लिख दिया गया जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 28–08–2024 को प्राप्त किया गया। 6– प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार के आदेश दिनांक 01–12–2021 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका कुकस की रिपोर्ट दिनांक 24–06–2022 में अंकित किया हुआ है कि ग्राम कुकस के आराजी खसरा नं0 1092, 1094/2363, 1106, 1107, 1108, 1109, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1209, 1210, 1211, 1220/2346, 1219, 1221, 1225, 1226, 1093, 1207, 1205, 1206, 1208, 1193, 1119 का मौका देखा गया। मौके पर कुएँ के अतिरिक्त संपूर्ण खसरा नंबरान पर तार व जाली से फेंसिंग की गयी है तथा मौके पर दो बोर्ड लगे हुये है जिन पर सनसिटी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तथा भूमि के मध्य में लगभग पाँच सीमेन्टेड साईन बोर्ड बने हुये है जिन पर भी सनसिटी लिखा हुआ है। मौके पर एक सुरक्षा गार्ड भी मिला जिसमें बताया है कि सनसिटी द्वारा ही उक्त भूमि की सुरक्षा व चौकसी हेतु नौकरी पर रखा गया है। मौके पर अन्य उपस्थित मौत विरान ने भी बताया है कि उक्त भूमि पर तार फेंसिंग व बोर्ड सनसिटी द्वारा ही लगवाया गया है। गार्ड कैलाशचन्द शर्मा उक्त भूमि की सार सम्भाल सनसिटी द्वारा ही करवाया जाता है। 7– मण्डल की पत्रावली में कई विक्रय पत्र संलग्न है तथा फोटोग्राफी भी प्रस्तुत की हुयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व फर्द मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी 2005 से वादग्रस्त आराजी पर लगातार काबिज है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये अपने आक्षेपित आदेश से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टीए/6542/2024/जयपुर** **सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा.लि. बनाम सुरेन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुलिस इमदाद से कब्जे से बेदखल करवाये जाने के जो आदेश पारित किये गये हैं। वह पूर्णतः अविधिक आदेश हैं जो कि बिना किसी वाद या प्रार्थना पत्र के जारी किये गये हैं, वे किसी भी आदेश की परिभाषा में नहीं आने से निरस्तनीय है। इस प्रकार की अविधिक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह भी निरस्त मानी जायेगी। 8– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते है। 9– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में **स्वीकार** करते हुए उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–2024 को निरस्त किया जाता है। 10– पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	